

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Appeal No. 1290/2015

CNR: RJHC020509202015 | URN: CRLA / 2538U / 2015

Bali Singh S/o Pappuram, R/o Bus Stand Sooroth, Dist. Karauli. The then Girdawar Halka Mahaveer Ji, Teh. Hindaun, District Karauli.

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan Through P.P.

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Tarun Jain  
For Respondent(s) : Mr. Rajendra Singh Shekawat, P.P.

**HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI**

**Judgement**

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Date of which the judgment was reserved                             | 07-08-2026 |
| Whether the full judgment or only the operative part was pronounced | No         |
| Date of Pronouncement                                               | 14-08-2026 |

विद्वान विचारण न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या-135/2014 राजस्थान राज्य बनाम बली सिंह में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 15.12.2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी-अभियुक्त बलीसिंह की ओर से यह अपील पेश की गई है। आलौच्य निर्णय से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 7 एवं धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों में दोषसिद्ध करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 7 के अपराध के लिये चार वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) के अपराध के लिये छह वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपये अर्थदण्ड तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड छह मास के साधारण कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया।

अपील के निस्तारण हेतु संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी मंगू खां ने दिनांक 04.06.2002 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि उसके पुत्र नूर हसन की महावीर बस स्टेण्ड पर साईकिल मरम्मत की दुकान स्थित है। इस दुकान पर तहसीलदार, हिण्डौन सिटी ने करीब साढ़े चार माह पूर्व रिसीवरी कर ताला लगवा दिया था। यह दुकान भगवान सिंह माली की है। उसके भाइयों में झगड़ा होने के कारण रिसीवरी हो गई। रिपोर्ट में आगे अंकित किया कि इस दुकान को खुलवाने एवं सामान निकलवाने हेतु परिवादी ने अपने पुत्र से तहसीलदार को प्रार्थना पत्र लिखवाकर दिया, जिस पर तहसीलदार द्वारा ताला खुलवाने के आदेश गिरदावर बली सिंह को कर दिये। जब परिवादी पक्ष गिरदावर से मिला तो गिरदावर ने उनसे दुकान खुलवाने के एवज में 1100 रुपये रिश्वत की मांग की। परिवादी उसे रुपये नहीं देना चाहता और उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता है, इसलिये कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

इस रिपोर्ट के आधार पर रिश्वत की मांग का सत्यापन कराने हेतु दिनांक 05.06.2002 को परिवादी के साथ कांस्टेबल बिहारीलाल को टेप रिकार्डर मय खाली कैसेट देकर रवाना किया गया। दिनांक 06.06.2002 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दो स्वतंत्र गवाहान रामचरण मीणा व प्रेमलाल बाहेती को बुलवाया गया और इन गवाहान के सामने परिवादी मंगू खां ने बली सिंह को 800/- रुपये रिश्वत राशि पेश की एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की गई। करीब 02.30 पीएम पर परिवादी ने बताया कि गिरदावर बली सिंह द्वारा रिश्वत राशि परिवादी के रिश्ते के चाचा के लड़के नूरदीन को दिलवा दी और कहा कि तू यह पैसे नूरदीन को दे देना तथा वह नूरदीन से 5 बजे जाते समय उसके कारखाना से ले लेगा। सायं 5.30 पीएम पर ट्रेप पार्टी नूरदीन के कारखाना पहुंची, वहाँ कारखाने के बाहर जाते व्यक्ति की ओर इशारा कर नूरदीन ने बताया कि यह बली सिंह गिरदावर है। उस व्यक्ति को रोककर परिचय पूछने पर उसने अपना नाम बली सिंह बताया। नूरदीन ने

बताया कि अभी बली सिंह उसके कारखाने पर आया और उससे मंगू खां द्वारा दिये गये 800 रुपये मांगे तो उसने वह 800 रुपये बली सिंह को दे दिये, जिसने अपनी पहनी हुई शर्ट के सामने की जेब में रख लिये। बाद में बली सिंह जेब से वह रुपये जमीन पर पटककर चल दिया। रुपये कारखाने की जमीन पर पड़े हैं।

ट्रेप कार्यवाही के दौरान सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर बली सिंह के हाथों की अंगुलियों को धुलवाया गया। उसके पहनी हुई टीशर्ट की तलाशी ली जाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया गया। जमीन पर पड़े नोटों को गवाह प्रेमलाल से उठवाया गया और कब्जा पुलिस लिया गया। टेप वार्ता का रूपान्तरण तैयार किया गया। अभियुक्त बली सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान अपराध अंतर्गत धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में आरोप पत्र पेश किया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 13 गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये।

अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण किया गया, जिसमें स्वयं को निर्दोष होना और झूठा फंसाया जाना प्रकट किया गया। साक्ष्य सफाई में कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई। अभियोजन साक्ष्य के दौरान कुल चार दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये गये।

तत्पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 15.12.2015 को आलोच्य निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी-अभियुक्त

को उपर्युक्तानुसार अपराधों में दोषसिद्ध व दण्डादिष्ट किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से यह अपील पेश की गई है।

बहस अपील सुनी गई। अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय विधि विरुद्ध, अविश्वसनीय साक्ष्य तथा उपधारणा व संभावनाओं पर आधारित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उनका तर्क रहा कि अपीलार्थी-अभियुक्त के पास दिनांक 04.06.2002 को परिवादी का कोई कार्य लंबित ही नहीं था। परिवादी ने दिनांक 04.06.2002 को रंजिशवश एवं असत्य तथ्यों के आधार पर तहरीरी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका तर्क रहा कि तहसीलदार, हिण्डौन के आदेश की पालना में दिनांक 05.06.2002 को सायं 3.00 बजे अपीलार्थी-अभियुक्त के पास तहरीरी रिपोर्ट प्राप्त हुई और यह तथ्य स्वयं अभियोजन पक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में दिनांक 05.06.2002 से पूर्व दिनांक 04.06.2002 को अपीलार्थी-अभियुक्त के पास परिवादी का किसी प्रकार का कोई कार्य लंबित ही नहीं था तो रिश्वत राशि मांगने का तथ्य स्वतः ही असत्य व निराधार हो जाता है। परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में 1100 रुपये रिश्वत राशि की मांग का तथ्य अंकित किया है, जबकि रिश्वत के रूप में 800 रुपये देना बताता है, जो अपने आप में विरोधाभासी है। अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांगने के तथ्य की अभियोजन पक्ष के किसी गवाह ने ताईद नहीं की है। अभियोजन कहानी के अनुसार परिवादी के पुत्र नूर हसन से अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग करना बताया गया है, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त नूर हसन को साक्ष्य में प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया गया है।

उनका यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थी-अभियुक्त एवं परिवादी मंगू खां के मध्य पूर्व से रंजिश चली आ रही है और इसी रंजिशवश अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनके अनुसार पूर्व में परिवादी मंगू खां द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किये जाने के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायत पर अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा जांच कर रिपोर्ट

तहसीलदार के समक्ष पेश की गई थी और इसी रंजिशवश यह झूठी शिकायत परिवादी ने दर्ज करवाई है। उनका तर्क रहा कि रिश्वत राशि की वार्ता को जिस कैसेट में रिकार्ड किया जाना बताया गया है, वह कैसेट तत्समय दिनांक 05.06.2002 को सील मोहर नहीं की जाकर दिनांक 06.06.2002 को की गई है और यह परिस्थिति अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाती है।

अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत ट्रांसक्रिप्ट को संदेहपूर्ण होना बताते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि इस पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। उनके अनुसार ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी-25 को किसी भी विशेषज्ञ से प्रमाणित नहीं कराया गया है और इस कारण ट्रांसक्रिप्ट से संबंधित कैसेट प्रदर्श पी-24 साक्ष्य में संधारणीय नहीं है। अतः रिश्वत राशि की मांग का तथ्य साबित नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा रिश्वत राशि की मांग का बिन्दु भौतिक सत्यापन से भी स्पष्ट नहीं होता है। अभियोजन साक्ष्य से यह भी साबित नहीं होता है कि टेप में किसकी आवाज थी और रूपान्तरण किसकी आवाज का किया गया।

उनका यह भी तर्क रहा कि परिवादी ने दिनांक 04.06.2002 को अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग करना बताया है, जबकि उक्त दिवस को अपीलार्थी-अभियुक्त अपने कार्यस्थल महावीर जी पर नहीं था और वह पटवारी हलका इरनिया में राजस्व कार्य हेतु गया और रात को वहीं विश्राम किया था। इसलिये दिनांक 04.06.2002 को महावीर जी में रिश्वत की मांग करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान ने रिश्वत राशि की स्वीकृति का बिन्दु भी प्रमाणित नहीं होना बताते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि स्वयं परिवादी के बयानों से ही स्पष्ट है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने परिवादी से न तो बाजार में रुपये लिये एवं न ही दुकान का सामान संभलाने के पश्चात ही रुपये लिये थे। जहाँ तक नूरदीन से रिश्वत राशि लेने का प्रश्न है तो स्वयं नूरदीन ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने उससे कोई रिश्वत राशि प्राप्त

नहीं की। इस प्रकार अपीलार्थी—अभियुक्त द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का बिन्दु भी अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो पाया है।

रिश्वत राशि की बरामदगी के संबंध में अपीलार्थी—अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा कि अपीलार्थी—अभियुक्त के कब्जे से रिश्वत राशि की बरामदगी होना अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो सका है, बल्कि अभियोजन पक्ष के गवाहान ने नूरदीन के कारखाने में जमीन पर रुपये पड़े होना बताया है।

उनका यह भी तर्क रहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान पी.ड.12 पुलिस उपाधीक्षक भूपसिंह व गवाह पी.ड.13 सुरेश कुमार दोनों ही ट्रेप दल के सदस्य हैं और तफ्तीश की है, जबकि बरामदगी में शामिल व्यक्ति कभी तफ्तीश कुन्निदा नहीं हो सकता, अन्यथा ऐसी जांच दूषित मानी जाती है।

इस प्रकार उनका तर्क रहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध के संबंध में सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रस्तुत साक्ष्य से संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से अपीलार्थी—अभियुक्त के विरुद्ध अवैध परितोषण की मांग, स्वीकृति एवं बरामदगी जैसे आवश्यक तत्वों को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है, जो रिश्वत के मामले में किसी भी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु आवश्यक व महत्वपूर्ण हैं, जिनका इस मामले में सर्वथा अभाव है।

इस प्रकार उपर्युक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति अपीलार्थी—अभियुक्त के पक्ष में होने एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य से अपीलार्थी—अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का गलत विवेचन कर अपीलार्थी—अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध व दण्डदिष्ट कर त्रुटि की है, अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य निर्णय अपास्त करते हुए अपीलार्थी—अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक विनिष्पत्ति प्रस्तुत किये।

- 1- 2013 (1) Cr.L.R. (Raj.) 292  
State of Rajasthan Vs. Murlidhar Gaur
- 2- AIR 2015 Supreme Court 180  
Anvar P.V. Vs. P.K. Basheer & Ors.
- 3- 2013(4) CCC 834 (Delhi)  
Niranjan Singh Vs. CBI
- 4- 2013 (4) Cr.L.R. (Raj.)2044  
Jog Singh Vs. State of Rajasthan
- 5- 2013 Cr.L.R. (SC) 914  
State of Punjab Vs. Madan Lal Verma
- 6- 2015 Cr.L.R. (SC) 1047 P. Satyanarayana Murthy Vs.  
The District Inspector of Police
- 7- 2002 Cri.L.J. 3059  
Tryambak Lilaji Binnar Vs. State of Maharashtra
- 8- 2014 (1) Cr.L.R. (Raj.)79  
State of Rajasthan Vs. Om Kumar Sharma

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क रहा कि अभियोजन पक्ष मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। उनका तर्क रहा कि घटना के समय अपीलार्थी-अभियुक्त हलका महावीर जी में गिरदावर के पद पर कार्यरत था। उसने तहसीलदार के आदेश के तहत दुकान खुलवाने की एवज में दिनांक 04.06.2002 को 1100 रुपये रिश्वत की मांग की। दिनांक 05.06.2002 को रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया गया और दिनांक 06.06.2002 को अपीलार्थी-अभियुक्त ने नूरदीन के माध्यम से रिश्वत राशि प्राप्त की, जो अपीलार्थी-अभियुक्त की पहनी हुई टी-शर्ट की जेब से बरामद हुई। यह तथ्य अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। उनका यह भी तर्क रहा कि रिश्वत मांग की सत्यापन कार्यवाही को अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत साक्ष्य से प्रदर्शित व प्रमाणित करवाया है एवं उसकी मौलिकता व विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है। रिश्वत राशि की मांग, स्वीकृति एवं राशि बरामदगी जैसे महत्वपूर्ण तथ्य संदेह से परे प्रमाणित हैं। विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। पी.ड.1 राजेन्द्र प्रसाद स्वयं को दिनांक 04.06.2002 को तहसील हिण्डौन में कनिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात होना बताता है। गवाह के अनुसार नूरहसन ने रिसीवरी की दुकान से सामान निकालने हेतु प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी-1 प्रस्तुत किया था। गवाह ने उस पर रिपोर्ट कर हस्ताक्षर किये एवं प्रदर्श पी-2 पत्र लिखकर तहसीलदार के समक्ष पेश किया। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 पर की गई रिपोर्ट पर तहसीलदार ने गिरदावर का आदेश दिनांक 04.06.2002 को पारित किया और जिसे गिरदावर साहब द्वारा दिनांक 05.06.2002 को 3 बजे प्राप्त करना अंकित है।

उक्त गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा गिरदावर के संबंध में पारित आदेश दिनांक 05.06.2002 को 3 बजे संबंधित गिरदावर अर्थात् अपीलार्थी-अभियुक्त बली सिंह द्वारा प्राप्त किया गया है, यानि रिसीवरी दुकान से सामान निकालकर परिवादी को संभलाने के तथ्य की जानकारी दिनांक 05.06.2002 को 3 बजे अपीलार्थी-अभियुक्त को होना प्रकट होता है। अभियोजन कहानी अनुसार परिवादी ने दिनांक 04.06.2002 को अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा रिसीवरी की दुकान से सामान निकालने के एवज में रिश्वत राशि की मांग का आरोप लगाया है, जबकि दिनांक 04.06.2002 को तो अपीलार्थी-अभियुक्त के पास परिवादी का कोई कार्य लंबित ही नहीं था और उसे तो तहसीलदार के आदेश की जानकारी दिनांक 05.06.2002 को हुई है। अतः अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.06.2002 को रिश्वत राशि मांगे जाने का आरोप प्रथमदृष्टया सत्यता से परे प्रतीत होता है।

अभियोजन कहानी के अनुसार यह स्वीकृत स्थिति है कि परिवादी मंगू खां के पुत्र नूर हसन की ओर से ही रिसीवरी दुकान से सामान निकलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादी मंगू खां के कथनानुसार सामान निकलवाने के एवज में अपीलार्थी-अभियुक्त ने सर्वप्रथम उसके पुत्र नूर हसन से रिश्वत राशि मांगना बताया है। इस प्रकार मामले में नूर हसन महत्वपूर्ण व

सारभूत साक्षी है, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया गया है। उसके धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान तक लेखबद्ध नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार दिनांक 04.06.2002 को परिवादी का कार्य अपीलार्थी—अभियुक्त के पास लंबित नहीं होना एवं परिवादी के पुत्र नूर हसन को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करना अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता के प्रतिकूल माने जाने योग्य है।

पी.ड.2 एम.एस. खान तत्कालीन जिला कलेक्टर ने इस मामले में अपीलार्थी—अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी-6 जारी करना अपने बयानों में प्रकट किया है।

पी.ड.3 मोहनसिंह दिनांक 06.06.2002 को एसीबी चौकी, सवाईमाधोपुर में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। गवाह ने चौकी में परिवादी के अतिरिक्त दो स्वतंत्र गवाहान रामकरण मीणा व बाहेती साहब का होना बताया है और अपने बयानों में ट्रेप से पूर्व की गई कार्यवाही के संबंध में तथ्य प्रकट किये हैं।

पी.ड.4 नूरदीन मामले का महत्वपूर्ण साक्षी है। गवाह के अनुसार मंगू खां की दुकान व निवास उसके पास ही है। वहाँ पर गिरदावर हाजिर अदालत मुलजिम (अपीलार्थी—अभियुक्त) आया था और दुकान पर लगे ताले खोले थे। गवाह ने कथन किया कि हाजिर अदालत मुलजिम की रूपयों पैसे बाबत उनसे कोई बात नहीं हुई। गवाह ने आगे कथन किया कि मंगू खां ने गिरदावर सा. को 800 रुपये देने के लिये उसे दिये थे। दो—तीन घण्टे बाद गिरदावर सा. उसकी दुकान पर आया, उससे हाथ मिलाया और कूलर बनाने का कहकर चला गया। गवाह ने स्पष्ट कथन किया कि मंगू खां द्वारा दिये गये रुपये वह मुलजिम को देना ही भूल गया। मंगू खां सात—आठ आदमियों के साथ उसके कारखाने में आया और मंगू खां द्वारा दिये गये 800 रूपयों के नोट उसने जमीन पर गिरा दिये। गवाह ने स्पष्ट कथन किया कि उसने नोट जमीन पर पटक दिये, गिरदावर को नहीं दिये।

गवाह द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किये जाने पर उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने स्पष्ट कहा कि पुलिस वालों ने उस पर दबाव डाला था एवं जेल भेजने की धमकी दी थी, जिसके कारण उसने प्रदर्श पी-9 बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिये थे।

अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर गवाह नूरदीन ने स्वीकार किया कि मंगू खां ने बलीसिंह को देने हेतु उसे 800 रुपये दिये, तब बलीसिंह मौजूद नहीं था। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही उसे पढ़कर नहीं सुनाई। गवाह ने स्वीकार किया कि मंगू खां द्वारा दिये गये रूपयों बाबत उसकी बलीसिंह से कोई बात नहीं हुई।

गवाह नूरदीन अभियोजन कहानी का महत्वपूर्ण व निर्णायक गवाह है। अभियोजन कहानी के अनुसार नूरदीन के माध्यम से ही अपीलार्थी-अभियुक्त को रिश्वत राशि प्राप्त होनी थी। जबकि इस गवाह ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि मंगू खां द्वारा दिये गये रूपयों बाबत उसकी बलीसिंह से कोई बात नहीं हुई, उसने परिवादी द्वारा दिये गये रुपये अपीलार्थी-अभियुक्त को नहीं दिये, बल्कि नोट जमीन पर पटक दिये।

अभियोजन कहानी का मूल आधार ही यही है कि अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा परिवादी मंगू खां से नूरदीन के माध्यम से रिश्वत की राशि प्राप्त की गई है, जबकि नूरदीन ने स्पष्ट तौर पर इन समस्त तथ्यों से इनकारी की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने का महत्वपूर्ण व सारभूत बिन्दु उक्त नूरदीन की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। यह तथ्यात्मक स्थिति अभियोजन कहानी को खण्डित करती है।

पी.ड.5 प्रेमलाल एवं पी.ड.7 रामकरण ट्रेप कार्यवाही के गवाहान हैं। दोनों गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की गई समस्त जानकारी के बारे में कथन किया है। गवाह प्रेमलाल ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि बलीसिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियां सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाई गई तो धोवन

का रंग वैसा ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार बलीसिंह के पहनी हुई टीशर्ट की जेब को उल्टा कर घोल में धुलवाया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित रहा। गवाह के प्रतिपरीक्षण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि जब वह नूरदीन के कारखाने पहुंचा तो रुपये नीचे पड़े थे।

गवाह रामकरण ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि बलीसिंह ने कहा था कि वह यहाँ बक्से व कूलर बनवाने आया। पैसे बलीसिंह के आगे पड़े हुए थे। यह सही है कि बलीसिंह ने कहा था कि उसने किसी से पैसे नहीं लिये हैं न ही यह पैसे उसके हैं।

इस प्रकार उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य अपीलार्थी—अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के संबंध में अभियोजन कहानी का प्रथमदृष्टया कोई सकारात्मक समर्थन नहीं करती है।

पी.ड.6 मंगू खां इस प्रकरण का परिवादी है और अभियोजन कहानी का महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु गवाह है। उसने कथन किया कि उसके लड़के नूर हसन की साईकल मरम्मत की दुकान है, जिसमें रखे सामान को प्राप्त करने के लिये नूर हसन ने तहसीलदार के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें बलीसिंह के नाम से ताला खोलकर सामान संभलाने का आदेश हुआ। उसका लड़का बलीसिंह के पास गया तो बलीसिंह ने दुकान खोलने के एवज में 1100 रुपये मांगे। नूरहसन ने यह बात परिवादी को बताई एवं परिवादी बलीसिंह के पास गया तो बलीसिंह ने उससे भी रुपये की मांग की। जिसकी शिकायत एसीबी चौकी सवाईमाधोपुर में कर प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी ने आगे अपने बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के अनुरूप कथन किये हैं, जिनका पुनः यहाँ उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने स्वीकार किया कि उसने 800 रुपये डिप्टी साहब को दिये थे, जिस पर डिप्टी साहब ने हस्ताक्षर किये। नोट उसकी जेब में रखवा दिये। फिर बयाना वाली गाड़ी से महावीर जी पहुंचे। परिवादी के अनुसार जब वह दुकान पर आया तब बलीसिंह उसे बाजार में मिल गये। यह सही है कि बाजार में बलीसिंह ने पैसे नहीं लिये, लेकिन यह कहा कि मैं

ताला खोल दूंगा। यह सही है कि फिर बलीसिंह ने आकर दुकान का ताला खोल कर सामान दे दिया। उस समय बलीसिंह ने पैसे नहीं लिये। बलीसिंह बाजार की तरफ चले गये। यह सही है कि दुकान व नोहरे पर बलीसिंह ने उससे कोई पैसा नहीं लिया। परिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने हाथ से बलीसिंह को पैसे नहीं दिये।

इस प्रकार परिवादी के बयानों से यह स्थिति स्पष्ट है कि जिस सामान को प्राप्त करने के बदले अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांगने व प्राप्त करने का जो आरोप लगाया गया है, वह सामान अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा बिना कोई रिश्वत राशि प्राप्त किये ही परिवादी को संभला दिया जा चुका था। अर्थात् परिवादी का जो कार्य अपीलार्थी-अभियुक्त के पास लंबित था, वह कार्य अपीलार्थी-अभियुक्त ने बिना कोई रिश्वत राशि प्राप्त किये ही पूर्ण कर लिया था।

आगे प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने कथन किया कि उसने बलीसिंह के कहने पर नूरदीन को पैसे दिये थे। हालाँकि परिवादी ने 800 रुपये की राशि बलीसिंह को देने के लिये नूरदीन को देना कथन किया है, लेकिन नूरदीन से वह राशि अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा प्राप्त किये जाने का तथ्य स्वयं नूरदीन की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो पाया है, जिसका विस्तृत विवेचन ऊपर किया जा चुका है, अतः पुनः उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

नूरदीन के कारखाने पर घटित घटनाक्रम के संबंध में परिवादी मंगू खां के प्रतिपरीक्षण में आये तथ्य महत्वपूर्ण व निर्णायक हैं। परिवादी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि 800 रुपये वहाँ कारखाने में पड़े हुए थे। उसे पता नहीं है कि नूरदीन ने नोट बलीसिंह को दिये या नहीं, वह गया तो नोट नीचे पड़े हुए थे। इस प्रकार परिवादी द्वारा नूरदीन को दी गई 800 रुपये की राशि अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा नूरदीन से प्राप्त करने का तथ्य स्वयं परिवादी की साक्ष्य से भी प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

पी.ड.8 सुरेन्द्रसिंह, पी.ड.9 जयराम एवं पी.ड.10 बिहारीलाल एसीबी चौकी सवाईमाधोपुर में तत्समय कार्यरत रहे हैं और इन गवाहान ने प्रथम सूचना

रिपोर्ट दर्ज होने, मांग का सत्यापन करने, ट्रेप आयोजन एवं उसके पश्चात की गई समस्त कार्यवाही के संबंध में कथन किये हैं।

पी.ड.11 गफूर परिवादी का सगा भाई है और परिवादी के अनुसार वह उसके साथ था। गवाह गफूर ने कथन किया कि बलीसिंह ने दुकान का ताला खोलकर सामान निकाला और सामान निकालकर हम दूसरी दुकान पर ले गये। वहां उस समय कोई बात नहीं हुई। गवाह को अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किये जाने पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह के अनुसार यह गलत है कि सामान निकालने के एवज में बलीसिंह ने 1100 रुपये की रिश्वत की मांग की हो। यह भी गलत है कि हमने सामान निकाला तब अभियुक्त बलीसिंह ने नूरदीन व मंगू खां से अलग ले जाकर बातचीत की हो।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि बलीसिंह हमें सामान संभलवाकर चले गये। बलीसिंह की वहाँ किसी से कोई बातचीत नहीं हुई।

यह गवाह परिवादी का भाई है, मौके पर मौजूद रहा है, इसलिये मौके पर घटित घटनाक्रम की उसे जानकारी होने के कारण महत्वपूर्ण गवाह है, लेकिन इस गवाह ने दुकान का ताला खोलकर सामान निकालने की एवज में अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की रिश्वत की मांग करने एवं रिश्वत राशि प्राप्त करने के तथ्य से स्पष्ट तौर पर इनकार किया है। अतः इस गवाह की साक्ष्य भी अभियोजन कहानी को कमजोर एवं अविश्वसनीय बनाती है।

पी.ड.12 भूपसिंह एवं पी.ड.13 सुरेश कुमार प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी हैं और इन गवाहान ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात की गई अनुसंधान कार्यवाही एवं आरोप पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कथन किये हैं।

प्रतिपरीक्षण में गवाह भूपसिंह ने स्वीकार किया कि दिनांक 06.06.2002 से पूर्व उसने बलीसिंह को न तो कभी देखा और न ही उसकी आवाज सुनी थी, परिवादी ने उसे बताया था कि कैसेट में आवाज बलीसिंह की है। दिनांक

05.06.2002 को टेप को सीलमोहर नहीं किया था। यह सही है कि दुकान से सामान देने के आदेश का पत्र दिनांक 05.06.2002 को अभियुक्त को मिला था। यह सही है कि उसने परिवादी द्वारा अभियुक्त को रिश्वत राशि देते हुए नहीं देखा। यह बात सही है कि परिवादी के लड़के का काम पूरा करने तक आरोपी ने परिवादी से कोई रिश्वत की राशि नहीं ली। यह सही है कि रिश्वत की राशि 800 रुपये आरोपी के शरीर या उसकी जेब से बरामद नहीं हुए थे। नूरदीन के कारखाने की जमीन से बरामद हुए थे। लगभग इसी आशय के तथ्य गवाह पी.ड.13 सुरेश कुमार के प्रतिपरीक्षण में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार इन गवाहान की साक्ष्य भी अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता को खण्डित करती है।

अपीलार्थी—अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चय *State of Rajasthan Vs. Murlidhar Gaur* में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने संबंधित प्रकरण में रिश्वत की मांग का तथ्य साबित नहीं होने, परिवादी का कोई कार्य अभियुक्त के पास लंबित नहीं होने एवं रिश्वत राशि की बरामदगी अभियुक्त के कब्जे से नहीं होने के आधार पर अभियुक्त की विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति को सही मानकर राज्य सरकार की अपील को निरस्त किया है।

न्यायिक विनिश्चय *Anvar P.V. Vs. P.K. Basheer & Ors.* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिकार्ड के अन्तर्गत कैसेट द्वितीयक साक्ष्य होती है और ऐसी द्वितीयक साक्ष्य धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी विशेषज्ञ से प्रमाणीकरण के अभाव में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती है।

न्यायिक विनिश्चय *Niranjan Singh Vs. CBI* में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि केवलमात्र परिवादी की पहचान के आधार पर रिकार्ड वार्ता की आवाज अभियुक्त की होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

न्यायिक विनिश्चय *Jog Singh Vs. State of Rajasthan* में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने अभियुक्त व परिवादी के मध्य हुई बातचीत को

प्रमाणित करने के संबंध में माइक्रो कैसेट रिकार्डर व कैसेट पेश नहीं करने, आवाज का नमूना नहीं लिये जाने एवं अभियुक्त की निजी तलाशी से बरामदगी नहीं होने के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित नहीं होना माना है।

न्यायिक विनिश्चय *State of Punjab Vs. Madan Lal Verma* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि रिश्वत राशि से संबंधित मामले में अपराध के गठन के लिये अवैध परितोषण की मांग का तत्व मौजूद होना अति आवश्यक है, केवलमात्र राशि बरामदगी के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करना उचित नहीं है। यह भी निर्णीत किया गया है कि रिश्वत राशि की मांग के संबंध में परिवादी के बयानों का समर्थन किसी स्वतंत्र साक्ष्य से होना भी आवश्यक है।

न्यायिक विनिश्चय *P. Satyanarayana Murthy Vs. The District Inspector of Police* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि रिश्वत राशि की मांग का कोई सबूत नहीं होने की स्थिति में केवल रिश्वत स्वीकृति व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित नहीं है। किसी मामले में संदेह कितना भी गम्भीर क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। इस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना।

न्यायिक विनिश्चय *Tryambak Lilaji Binnar Vs. State of Maharashtra* में यह मत व्यक्त किया कि वह पुलिस अधिकारी, जो बरामदगी के समय पुलिस दल के साथ हो और जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की हो, ऐसे अधिकारी द्वारा उस मामले में की गई तफ्तीश दूषित मानी जाएगी।

न्यायिक विनिश्चय *State of Rajasthan Vs. Om Kumar Sharma* में न्यायालय ने परिवादी की साक्ष्य से रिश्वत की मांग की पुष्टि नहीं होने एवं रिश्वत राशि अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी से बरामद नहीं होने के आधार पर दोषमुक्ति के निर्णय को सही माना है। इस निर्णय में न्यायालय ने यह मत

भी व्यक्त किया कि अभियुक्त को अपना बचाव केवल संभावना की बहुलता पर प्रमाणित करना है और यह अभियुक्त के पक्ष में है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत रिश्वत संबंधी मामलों में मुख्य रूप से किसी अभियुक्त के पास परिवादी का कार्य लंबित होना, अभियुक्त के पास ऐसा कार्य करने की अधिकारिता होना अथवा अपने प्रभाव से परिवादी के कार्य को करवाने के आधार पर रिश्वत राशि की मांग एवं स्वीकृति का घटक महत्वपूर्ण व सुसंगत होता है।

जैसा कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन किया गया है एवं बहस के दौरान जो तर्क प्रस्तुत हुए हैं, उनके समग्र अवलोकन से इस मामले में जो तथ्यात्मक स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रकट हुई है, उसके अनुसार परिवादी मंगू खां के पुत्र नूर हसन ने दुकान का ताला खुलवाकर रखा सामान प्राप्त करने की एवज में अपीलार्थी—अभियुक्त बलीसिंह द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना बताया है और यह बात नूर हसन द्वारा अपने पिता परिवादी मंगू को बताई है। ताला खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र भी नूर हसन द्वारा संबंधित तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया है। इस प्रकार सर्वप्रथम नूर हसन से रिश्वत राशि मांगने के आधार पर घटना की शुरुआत हुई है, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया गया है, यहाँ तक कि उसके पुलिस बयान ही लेखबद्ध नहीं किये गये हैं और न ही अनुसंधान के दौरान तैयार किसी फर्द पर उसके हस्ताक्षर कराये गये हैं। एक प्रकार से जिस नूर हसन के आधार पर मामले की शुरुआत हुई है, उसे तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। निश्चित रूप से यह स्थिति अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाती है।

अभियोजन कहानी अनुसार अपीलार्थी—अभियुक्त द्वारा परिवादी के कार्य (दुकान का ताला खोलकर सामान निकालने) के बदले दिनांक 04.06.2002 को रिश्वत राशि मांगने का आरोप है, जबकि पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि दुकान का ताला खोलकर सामान परिवादी को संभलाने के तहसीलदार के आदेश की जानकारी

अपीलार्थी-अभियुक्त को दिनांक 05.06.2002 को हुई है। यानि दिनांक 04.06.2002 को परिवादी का कोई कार्य अपीलार्थी-अभियुक्त के पास लंबित ही नहीं था। ऐसी स्थिति में इस मामले में दिनांक 04.06.2002 को रिश्वत राशि की मांग के संबंध में अपीलार्थी-अभियुक्त का किसी प्रकार का कोई प्रयोजन या उद्देश्य (occasion or motive) प्रकट नहीं होता है। जबकि रिश्वत की मांग जैसे आरोप में किसी अभियुक्त का प्रयोजन अथवा उद्देश्य उसका मूल आधार होता है, जिसका वर्तमान मामले में नितान्त अभाव है। अतः अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.06.2002 को परिवादी से रिश्वत राशि की मांग का आरोप अविश्वसनीय हो जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी-अभियुक्त बलीसिंह द्वारा परिवादी मंगू खां से सीधे तौर पर कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की गई है।

जहाँ तक अभियोजन कहानी के अनुसार अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा नूरदीन के माध्यम से रिश्वत की राशि प्राप्त करने का प्रश्न है, नूरदीन अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसके मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में आये तथ्यों का ऊपर विवेचन किया गया है, जिसमें नूरदीन ने स्पष्ट तौर पर समस्त तथ्यों से इनकारी की है। अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य कोई गवाह पेश नहीं हुआ है, जो यह कह सके कि उसके सामने नूरदीन से अपीलार्थी-अभियुक्त ने रिश्वत राशि प्राप्त की हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा नूरदीन के माध्यम से रिश्वत राशि प्राप्त करने का तथ्य भी अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी-अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि की बरामदगी नहीं हुई है। बल्कि नूरदीन के कारखाने की जमीन पर पड़ी राशि को बरामद किया गया है और यह राशि स्वयं नूरदीन द्वारा जमीन पर नीचे गिराना स्वीकार किया गया है। यह स्वीकृत स्थिति भी अपीलार्थी-अभियुक्त

बलीसिंह के विरुद्ध आरोपित अपराध में की गई दोषसिद्धी को खण्डित करती है।

रिश्वत राशि की मांग व स्वीकृति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय B. Jayaraj Vs. State of Andhra Pradesh (2014) 13 SC 55 का पैरा संख्या-7 व 9 सुसंगत व महत्वपूर्ण होने से निम्न प्रकार उल्लेखित है :

7- In so far as the offence under [Section 7](#) is concerned, it is a settled position in law that demand of illegal gratification is sine qua non to constitute the said offence and mere recovery of currency notes cannot constitute the offence under [Section 7](#) unless it is proved beyond all reasonable doubt that the accused voluntarily accepted the money knowing it to be a bribe. The above position has been succinctly laid down in several judgments of this Court. By way of illustration reference may be made to the decision in [C.M. Sharma Vs. State of A.P.\[1\]](#) and [C.M. Girish Babu Vs. C.B.I.\[2\]](#)

9 In so far as the presumption permissible to be drawn under [Section 20](#) of the Act is concerned, such presumption can only be in respect of the offence under [Section 7](#) and not the offences under [Section 13\(1\)\(d\)\(i\)\(ii\)](#) of the Act. In any event, it is only on proof of acceptance of illegal gratification that presumption can be drawn under [Section 20](#) of the Act that such gratification was received for doing or forbearing to do any official act. Proof of acceptance of illegal gratification can follow only if there is proof of demand. As the same is lacking in the present case the primary facts on the basis of which the legal presumption under [Section 20](#) can be drawn are wholly absent.

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय P. Satyanarayana Murthy Vs. Dist. Inspector of Police and Anr. AIR 2015 SC 3549 का पैरा संख्या—18,19 व 20 भी सुसंगत व महत्वपूर्ण है एवं निम्न प्रकार है :

18. This Court in [A. Subair vs. State of Kerala](#)(2009)6 SCC 587, while dwelling on the purport of the statutory prescription of Sections 7 and [13\(1\)\(d\)](#)of the Act ruled that the prosecution has to prove the charge thereunder beyond reasonable doubt like any other criminal offence and that the accused should be considered to be innocent till it is established otherwise by proper proof of demand and acceptance of illegal gratification, which are vital ingredients necessary to be proved to record a conviction.

19. In [State of Kerala and another vs. C.P. Rao](#)(2011) 6 SCC 450, this Court, reiterating its earlier dictum, vis-à-vis the same offences, held that mere recovery by itself, would not prove the charge against the accused and in absence of any evidence to prove payment of bribe or to show that the accused had voluntarily accepted the money knowing it to be bribe, conviction cannot be sustained.

20. In a recent enunciation by this Court to discern the imperative pre-requisites of [Sections 7](#)and [13](#)of the Act, it has been underlined in [B. Jayaraj](#)(supra) in unequivocal terms, that mere possession and recovery of currency notes from an accused without proof of demand would not establish an offence under [Sections 7](#)as well as [13\(1\)\(d\)\(i\)&\(ii\)](#) of the Act. It has been propounded that in the absence of any proof of demand for illegal

gratification, the use of corrupt or illegal means or abuse of position as a public servant to obtain any valuable thing or pecuniary advantage cannot be held to be proved. The proof of demand, thus, has been held to be an indispensable essentiality and of permeating mandate for an offence under [Sections 7 and 13](#) of the Act. Qua [Section 20](#) of the Act, which permits a presumption as envisaged therein, it has been held that while it is extendable only to an offence under [Section 7](#) and not to those under [Section 13\(1\)\(d\)\(i\)&\(ii\)](#) of the Act, it is contingent as well on the proof of acceptance of illegal gratification for doing or forbearing to do any official act. Such proof of acceptance of illegal gratification, it was emphasized, could follow only if there was proof of demand. Axiomatically, it was held that in absence of proof of demand, such legal presumption under [Section 20](#) of the Act would also not arise.

इन न्यायिक विनिश्चयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि किसी लोकसेवक अभियुक्त से राशि बरामद होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि रिश्वत के रूप में अभियुक्त द्वारा परिवादी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रिश्वत राशि की मांग और उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वर्तमान मामले में अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध अवैध राशि की मांग व स्वीकृति का महत्वपूर्ण तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है और न ही अपीलार्थी-अभियुक्त से किसी रिश्वत राशि की बरामदगी हुई है। अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का तथ्य भी प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है।

अभियुक्त को अपना बचाव संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर स्थापित किया जा

सकता है, जबकि अभियोजन पक्ष पर अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने की जिम्मेदारी है। इस प्रकार प्रकरण के महत्वपूर्ण व सुसंगत बिन्दुओं को अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपित अपराध में अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धी उपलब्ध साक्ष्य एवं विधिक स्थिति के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है और अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या-135/2014 राजस्थान राज्य बनाम बलीसिंह में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 15.12.2015 अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है।

अपीलार्थी-अभियुक्त जमानत पर आजाद है, उसके जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अपीलार्थी-अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील अनुमति याचिका प्रस्तुत होने पर उसमें उपस्थिति हेतु धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत एक लाख रुपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की जमानत विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद दो माह की अवधि में प्रस्तुत कर तस्दीक करावें।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J